

मध्यप्रदेश शासन  
राजस्व विभाग,  
मंत्रालय

क्रमांक एफ-9-1/2014/सात/4ए

भोपाल, दिनांक 10 फरवरी 2015

प्रति

समस्त विभागाध्यक्ष  
समस्त संभागायुक्त  
समस्त कलेक्टर  
मध्यप्रदेश।

विषय : तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार की गोपनीय चरित्रावलियों के मतांकन के चैनल का पुर्ननिर्धारण।

राजस्व विभाग के अन्तर्गत तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार की गोपनीय चरित्रावलियों के मूल्यांकन के लिए वर्तमान में सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-एक क्रमांक-7 के परिशिष्ट के अनुक्रमांक-21 में निम्नानुसार प्रावधान है :-

क्रमांक	उन अधिकारियों की श्रेणी जिनके संबंध में रिपोर्ट की जाना हो	कार्यालय जिसमें फार्म तैयार किया जायेगा	प्रथम मत दर्ज करने वाला अधिकारी	अधिकारी जिनके जरिये प्रस्तुत की जायेगी	अधिकारी जिसे प्रस्तुत की जायेगी	उस प्राधिकारी का नाम जिसके द्वारा प्रतिकूल मत सूचित किया जायेगा	स्थान जहां रखी जायेगी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
21	तहसीलदार और नायब तहसीलदार	कलेक्टर	कलेक्टर (ग)	कमिश्नर	राज्य शासन	सचिवालय	सचिवालय (ग) ऐसे जिले के अधिकारी के संबंध में, जहां न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण न हुआ हो और जहां वह प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग कर रहा हो वहाँ प्रथम मत जिला तथा सत्र न्यायाधीश द्वारा दर्ज किया जायेगा, इसके बाद कलेक्टर अपना मत लिखने के पश्चात् उसे कमिश्नर को भेजेगा।

राज्य शासन, एतद्द्वारा, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दी गई सहमति क्रमांक 4003/आर-1903/14/1/9, दिनांक 02/12/2014 के अनुक्रम में नवीन विभागाध्यक्ष कार्यालय प्रमुख राजस्व आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल के गठन के फलस्वरूप तहसीलदार एवं

नायब तहसीलदार की गोपनीय चरित्रावलियों में मतांकन के चैनल का पुर्ननिर्धारण के लिये सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-एक क्रमांक-7 के परिशिष्ट के अनुक्रमांक-21 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित करता है:-

क्रमांक	उन अधिकारियों की श्रेणी जिनके संबंध में रिपोर्ट की जाना हो	कार्यालय जिसमें फार्म तैयार किया जायेगा	प्रथम मत दर्ज करने वाला अधिकारी	अधिकारी जिनके जरिये प्रस्तुत की जायेगी	अधिकारी जिसे प्रस्तुत की जायेगी	उस प्राधिकारी का नाम जिसके द्वारा प्रतिकूल मत सूचित किया जायेगा	स्थान, जहां रखी जायेगी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
21	तहसीलदार और नायब तहसीलदार	तहसील	उपखंड अधिकारी	कलेक्टर	प्रमुख राजस्व आयुक्त, मध्यप्रदेश	प्रमुख राजस्व आयुक्त, मध्यप्रदेश	प्रमुख राजस्व आयुक्त, मध्यप्रदेश



(किरण मिश्रा)

अवर सचिव

म.प्र.शासन, राजस्व विभाग

भोपाल, दिनांक 10 फरवरी 2015

पृ.क्रमांक एफ-9-1/2014/सात/4ए  
प्रतिलिपि -

1. प्रमुख राजस्व आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (कक्ष-9) की टीप क्रमांक 4003/आर-1903/14/1/9 दिनांक 02/12/2014 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।



अवर सचिव

म.प्र.शासन, राजस्व विभाग